

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
03.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 533 का उत्तर

केरल में सड़क उपरि पुल परियोजनाओं की स्थिति

533. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल राज्य में स्वीकृत और चल रही सभी सड़क उपरि पुल (आरओबी) निर्माण परियोजनाओं का उनके स्थान, मंडल और कार्यान्वयन एजेंसी सहित ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रत्येक परियोजना के लिए अपनाई गई वित्तपोषण पद्धति क्या है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि क्या यह रेलवे द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित है या राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों के साथ लागत-साझाकरण के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है;
- (ग) तिरुवनंतपुरम, मदुरै और पालक्काड़ मंडलों के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक आरओबी परियोजना की स्थिति और प्रगति का चरण क्या है;
- (घ) पूरा होने की निर्धारित तिथियां क्या हैं और यदि कोई देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार की सार्वजनिक सुरक्षा और भारी यातायात में कमी सुनिश्चित करने के लिए केरल में लंबित आरओबी परियोजनाओं में तेजी लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर उनके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करके उन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (अक्टूबर, 2025) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (अक्टूबर, 2025)	13,653 अदद (केरल राज्य में 120 अदद सहित)

केरल राज्य में, चालू वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान 02 अदद ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम, मदुरै और पालक्काड मंडलों में रेलपथ के ऊपर 127 ऊपरी सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन कार्यों में से 106 कार्य लागत में साझेदारी के आधार पर और 21 अदद कार्य 100% रेलवे की लागत पर स्वीकृत हैं।

राज्य सरकार की ओर से 105 अदद ऊपरी सड़क पुल विलंबित हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	कारण	ऊपरी सड़क पुल (संख्या में)
1.	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब	37
2.	राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अंतिम रूप प्रदान करना	63
3.	कानून और व्यवस्था/सार्वजनिक प्रदर्शन/न्यायायिक मामले आदि	2
4.	एजेंसी को अभी तय नहीं किया गया है।	3

ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुल (आरयूबी) के कार्यों को पूरा करना और उन्हें कमीशन करना, समपार को समाप्त करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग का संरेखण निर्धारित करना, सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंबनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण विशिष्ट परियोजना/क्षेत्र के लिए वर्ष में कार्य

करने की अवधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।
- (ii) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- (iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान देरी से बचने के लिए रेलवे हिस्से पर सड़क के फैलाव, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिसंरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे शीघ्र नियोजन के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।
- (iv) जहाँ तक संभव हो, रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों को एकल इकाई के आधार पर निष्पादित किए जाने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे, तो रेलवे उन्हें एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है।

\*\*\*\*\*